प्रेस नोट जनपद बलिया

दिनांक 08.02.2026

थाना नगरा जनपद बलिया पुलिस द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर करने वाले जनपद के विभिन्न थानों में वांछित शातिर अभियुक्त 01 अदद नाजायज तमंचा .315 बोर मय 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय (उत्तरी) बलिया श्री दिनेश कुमार शुक्ला के पर्यवेक्षण व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय रसड़ा श्री आलोक कुमार गुप्ता के कुशल नेतृत्व में थाना नगरा पुलिस को मिली सफलता।

दिनांक 07.02.2026 को मैं थानाध्यक्ष संजय कुमार मय हमराह व0उ0नि0 श्री प्रभाकर शुक्ला, हे0का0 देवव्रत उपाध्याय, का0 विकास वर्मा, का0 रमेश चौहान मय सरकारी वाहन बुलेरो नं0 यूपी UP 70 AG 3240 मय चालक का0 ज्योतिष यादव के रवाना होकर बिनावर जुर्म जरायम रोकथाम देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति संदिग्ध वाहन तलाश वांछित वारण्टी चैकिंग हेतु रवाना क्षेत्र होकर बिनावर जुर्म जरायम रोकथाम देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति संदिग्ध वाहन तलाश वांछित वारण्टी चेकिंग हेतु रवाना होकर खरूआँव पोखरे के पास चेकिंग कर रहे थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी घटना को अंजाम देने के लिए पकवाइनार चन्द्रवार कि तरफ से पैदल आ रहा है यदि आप लोग जल्दी करें तो पकडा जा सकता हैं। मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास करके मुखबिर को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये व्यक्ति का इन्तजार खरूआँव प्राचीन योगीबीर बाबा स्थान के पास करने लगे, कुछ देर बाद चन्द्रवार पकवाइनार की तरफ से एक व्यक्ति पैदल आता दिखाई दिया मुखबिर खास ने टार्च की रोशनी में देखकर बताया कि यह वही व्यक्ति है और मुखबिर खास हट बढ़ गया। वह व्यक्ति हम पुलिस वालों के करीब आया तो हम पुलिस वालों ने सड़क पर उसे रोकने का प्रयास किया तो पीछे मुड़कर भागना चहा इतने में बदमाश द्वारा यह कहते हुए कि मेरे पास कट्टा है मैं गोली मार दूंगा नहीं तो मुझे जाने दो इस पर थानाध्यक्ष नगरा द्वारा बदमाश को चेतावनी दी गयी कि हम पुलिस वाले हैं सरेन्डर कर दो लेकिन मेरी चेतावनी का उस पर कोई असर नहीं हुआ और बदमाश द्वारा हम पुलिस वालों को लक्ष्य करके जान से मारने की नीयत से एक फायर किया पर हम पुलिस वाले बिना धैर्य खोये गाडी व प्राकृतिक आड़ का सहारा लेकर बाल-बाल बच गये थानाध्यक्ष नगरा द्वारा व0उ0नि0 श्री प्रभाकर शुक्ला को आत्मरक्षार्थ अपने सरकारी पिस्टल से नाजुक अंग को बचाते हुये शरीर के निचले हिस्से में एक फायर करने को कहा गया तो व0उ0नि0 श्री प्रभाकर शुक्ला के द्वारा एक फायर नाजुक अंग को बचाते हुए उसके शरीर के निचले हिस्से में फायर किया गया। जिसके बाद वह बदमाश गिर गया और उसके जोर से चीखने व कराहने की आवाज आई इसी बीच हम पुलिस वाले अपनी जान की परवाह न करते हुये सिखलाये गये तरीकों से कराहते हुये बदमाश के पास आये तो वह बदमाश पोखरे के किनारे गिरा हुआ और कराह रहा था जिसे टार्चो की रोशनी में देखा तो बायें पैर की पिंडली के पास से खून निकल रहा है। अभियुक्त को समय 21.55 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके दाहिने हाथ में एक अदद तमंचा नाजायज .315 बोर जिसकी नाल मे एक अदद खोखा फंसा हुआ है तथा पास में एक अदद जिन्दा कारतूस जमीन पर पड़ा हुआ मिला। थानाध्यक्ष नगरा द्वारा मौजूद पुलिस बल से कुशल क्षेम पुछा गया तो सभी द्वारा कुशलता प्रकट की गयी। बदमाश की पिंडली में गोली लगी थी जो आर पार हो गयी थी तथा फिल्ड यूनिट को जरिये कन्ट्रोल रूम के माध्यम से सूचना दी गयी। मौके पर गिरे हुए व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम *रूदल नट पुत्र तुफानी नट निवासी नकहरा थाना गड़वार जनपद बलिया उम्र करीब 30 वर्ष* बताया जिसकी नियमानुसार जामा तलाशी ली गयी जिसके दाहिने हाथ के पास से 01 अदद तमंचा देशी .315 बोर जिसकी नाल

में एक अदद खोखा कारतूस फंसा हुआ व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर जमीन पर पड़ा हुआ, बरामद हुआ तथा पहने जैकेट की बांयी जेब से एक अदद सफेद धातु का टुकड़ा बरामद हुआ। घायल बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग जाने के कारण रक्त स्राव हो रहा था, जिसे मौके पर ही गमछे का पैड बना कर बांधा गया तथा दौराने कार्यवाही पूछने पर गलती की माफी मांगते हुए बता रहा है कि साहब मैं जनपद बलिया में कई मुकदमों मे वांछित था और जगह जगह पर छिप छिपाकर रहता था आज मैं चोरी करने के इरादे से जा रहा था कि आप लोगों से मेरी मुठभेड़ हो गयी और आपने मुझे पकड़ लिया साहब हम लोगो का एक गैंग है जिसमें मैं अपने *साथियों 1. गुड्डू पुत्र कंगन बिराहिम 2. पतरू पुत्र तुफानी नट निवासीगण नकहरा थाना गड़वार जनपद बलिया 3. टेंगर पुत्र हरेन्द्र निवासी खरहाटार थाना गड़वार जनपद बलिया 4. कयामू उर्फ कयामुद्दीन निवासी नकहरा थाना सुखपुरा जनपद बलिया* के साथ मिलकर चोरी की घटनाये करते हैं और जो रुपया पैसा मिलता है उसे बराबर बराबर बाट लेते है। दिनांक 4/5.01.2026 की रात्रि में सुखपुरा बुढवा मंदिर से शिवलिंग व नाग तथा दुर्गा जी को लगा हुआ नथिया को मै और गुड्डु, कयामु, पतरू, टेंगर के साथ मिलकर चोरी किया था चोरी करने के बाद हम और टेंगर नट ने शिवलिंग व चांदी व दुर्गा जी के गहने को लेकर चले गये थे। उसमें से गुडडु, पतरु व कयामुद्दीन उर्फ कयामू को उनके हिस्से की चांदी दे दी थी शेष चांदी मेरे व टेंगर नट के पास थी जिसमें से आज जो मेरे पास से चांदी मिली थी यह उसी चोरी की शिवलिंग पर चढी चांदी का हिस्सा है, उसको मै बेचने के फिराक में था परन्तु कोई ग्राहक न मिलने के कारण चांदी बिक नही पायी बाकी सामान टेंगर के पास है, शिवलिंग के विषय में पूछा गया तो बताया कि साहब शिवलिंग को मैने व टेंगर ने बिहार में एक नदी में फेंक दिया था ,और दिनांक 11.01.2026 की रात्रि को थाना क्षेत्र गड़वार अन्तर्गत बंगला चट्टी के पास बने हाता से मैं व गुड्डु, अँसार, टेंगर, पतरू व अरविन्द के साथ मिलकर एक टुल्लु पम्प चोरी किया था, जो टुल्लु पम्प उन्ही के पास था तथा दिनांक 17/18.12.2025 की रात्रि को मैं गुड्डु, अँसार, टेंगर, पतरू के साथ मिलकर ग्राम सवन के कम्पोजिट विद्यालय से ताला तोड़कर इन्वर्टर बैट्री गैस सिलेन्डर और काफी सामान चोरी किया था, उसमें से जो मेरे हिस्से में आया था मैने चलते फिरते कबाडी को बेच दिया था जिसका पैसा अपने घरेलू काम में खर्च कर लिये थे दिनांक 14/15.11.2025 की रात को नगरा पुराना दुर्गा मंदिर से मैने पतरू और टेंगर के साथ मिलकर मन्दिर का ताला तोड़कर मूर्ति से एक मुकुट तथा नथिया व दान पेटी से रुपये चोरी किये थे जिसको हम लोगों ने बेचकर पैसे आपस में बाट लिये थे मेरे हिस्से में जो रूपये आये थे उसे मैने खर्च कर दिया है, तथा थाना सुखपुरा थाना गड़वार से उपरोक्त घटना के संबंध में जरिये आरटी सेट वार्ता की गयी तो जानकारी हुई कि थाना सुखपुरा पर मु0अ0सं0-04/26 धारा 305,331(4),317(2) बीएनएस पंजीकृत है तथा थाना गड़वार पर दिनांक 11.01.2026 की रात्रि की घटना के संबँध में मु0अ0सं0-11/26 धारा 303(2), 317(2),बीएनएस व दिनांक 17/18.12.2025 की रात्रि की घटना के संबंध में मु0अ0सं0 280/25 धारा 331(4), 305(ई), 317(2) बीएनएस पंजीकृत है। अभियुक्त रूदल नट उपरोक्त का यह कार्य जुर्म अन्तर्गत धारा 109(1), 305(डी), 331(4), 303(2), 317(2) बीएनएस व धारा 3/25 आयुध अधि का दण्डनीय अपराध है। अभियुक्त रूदल नट उपरोक्त को उसके कार्य का बोध कराते हुए नियमानुसार समय 21.55 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। मौके पर आयी सेकेन्ड मोबाइल पर तैनात उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद मय हमराह हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 दिलीप गौड़ मय चालक हे0का0 अजीत यादव को सुपुर्द कर वास्ते उपचार हेतु सरकारी वाहन से सीएचसी नगरा भेजा गया दौराने कार्यवाही धारा 105 बीएनएसएस व माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेशों व निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया कार्यवाही के दौरान फील्ड यूनिट मौजूद है। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के परिजनों को द्वारा उचित माध्यम दिया जा रहा है। चूंकि अभियुक्त रूदल नट उपरोक्त को मौके से ही इलाज हेतु सीएचसी नगरा भेज दिया गया है, अभियुक्त को पीएचसी नगरा से जिला अस्पताल बलिया रेफर किया जा चुका है। उपरोक्त व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर नियमानुसार मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

सम्बन्धित अभियोग

1. मु0अ0सं0 34/2026 धारा 109(1), बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नगरा जनपद बलिया ।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 – 95/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गड़वार बलिया
2. मु0अ0सं0 – 205/2022 धारा 2,3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधि0 थाना गड़वार बलिया
3. मु0अ0सं0- 244/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नगरा बलिया
4. मु0अ0सं0- 246/2021 धारा 411 भादवि0 थाना नगरा बलिया
5. मु0अ0सं0 – 193/2021 धारा 380,411,457 भादवि0 थाना सुखपुरा जनपद बलिया
6. मु0अ0सं0 419/2016 धारा 342,380,457 भादवि0 थाना बांसडीह जनपद बलिया
7. मु0अ0सं0 280/2025 धारा 305(e)317(2),331(4) BNS थाना गड़वार जनपद बलिया
8. मु0अ0स0 11/2026 धारा 303(2),317(2) BNS थाना गड़वार जनपद बलिया
9. मु0अ0सं0 708/2016 धारा 380,411,414,457 भादवि0 थाना रसड़ा जनपद बलिया
10. मु0अ0सं0 31/2018 धारा 395,412,413भादवि0 थाना पकड़ी जनपद बलिया
11. मु0अ0सं0 707/2016 धारा 395,397,412 बीएनएस थाना रसड़ा जनपद बलिया
12. मु0अ0सं0 728/2016 धारा 380,411,457 भादवि0 थाना रसड़ा जनपद बलिया
13. मु0अ0सं0 221/2018 धारा 379,413,414 भादवि0 थाना रसड़ा जनपद बलिया
14. मु0अ0सं0 303/2018 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधि0 थाना रसड़ा जनपद बलिया
15. मु0अ0सं0 170/2020 धारा 20,8 स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधि0 थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया
16. मु0अ0सं0 171/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्दरपुर बलिया
17. मु0अ0सं0 04/2026 धारा 305,331(4) BNS थाना सुखपुरा बलिया
18. मु0अ0सं0 59/2019 धारा 41,411,413,414 भादवि0 थाना खेजुरी, बलिया
19. मु0अ0सं0 773/2015 धारा 342,395,506 भादवि0 थाना बांसड़ीह बलिया
20. मु0अ0सं0 264/2016 धारा 174-A भादवि0 थाना थाना बांसड़ीह बलिया
21. मु0अ0सं0 49/2021 धारा 380 भादवि थाना बांसडीह बलिया
22. मु0अ0सं0 56/21 धारा 380 भादवि0 थाना बांसडीह जनपद बलिया
23. मु0अ0सं0 570/16 धारा 380,457 भादवि0 थाना बांसडीह रोड़ जनपद बलिया
24. मु0अ0सं0 92/21 धारा 380,411,413,414,457 भादवि0 थाना गड़वार जनपद बलिया
25. मु0अ0सं0 241/21 धारा 380,411,457 भादवि0 थाना गड़वार जनपद बलिया
26. मु0अ0सं0 729/15 धारा 395,412 भादवि0 थाना मनियर जनपद बलिया
27. मु0अ0सं0 66/16 धारा 395,412 भादवि0 थाना मनियर जनपद बलिया
28. मु0अ0सं0 166/19 धारा 307 भादवि0 थाना नगरा जनपद बलिया
29. मु0अ0सं0 167/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नगरा जनपद बलिया
30. मु0अ0सं0 168/19 धारा 212,41,411,413,414,419,420,467,468,471 भादवि0 थाना नगरा जनपद बलिया
31. मु0अ0सं0 149/18 धारा 379,41,411,419,420 भादवि0 थाना रसड़ा जनपद बलिया
32. मु0अ0सं0 31/24 धारा 25,401 भादवि0 थाना सुखपुरा जनपद बलिया
33. मु0अ0सं0 314/25 धारा 305(डी),331(4),317(2) बीएनएस थाना नगरा जनपद बलिया

गिरफ्तार अभियुक्त

1. रूदल नट पुत्र तुफानी नट निवासी नकहरा थाना गड़वार जनपद बलिया ।

बरामदगी

1. **01 अदद नाजायज तमंचा .315 बोर मय 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।**
2. **थाना सुखपुरा जनपद बलिया के शिवमंदिर से चोरी किये गये चांदी के आभूषण में से करीब 63.43 ग्राम चांदी का टुकडा।**

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. थानाध्यक्ष श्री संजय कुमार नगरा जनपद बलिया।
2. व0उ0नि0 श्री प्रभाकर शुक्ला थाना नगरा बलिया
3. हे0का0 देवव्रत उपाध्याय थाना नगरा बलिया
4. कां0 विकास वर्मा थाना नगरा बलिया
5. का0 रमेश चौहान थाना नगरा जनपद बलिया

सोशल मीडिया सेल
बलिया पुलिस

थाना-नगरा
जनपद-बलिया
कार्यालय
EMERGENCY